



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052022-235754
CG-DL-E-13052022-235754

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336]
No. 336]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 13, 2022/वैशाख 23, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 13, 2022/VAISAKHA 23, 1944

राज्य सभा सचिवालय
(संसद के सदनों की संयुक्त समिति)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2022

सा.का.नि. 351(अ).—संयुक्त समिति, संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, संसद सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ता) नियम, 1957 में ऐसे और संशोधन करने के लिए, जिन्हें धारा 9 की उप-धारा (4) के अधीन यथा अपेक्षित राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित और पुष्ट कर दिया गया है, नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ता) संशोधन नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- संसद सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ते) नियम, 1957 में, नियम 3(क) में, उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5) (क) जहाँ हवाई यात्रा विमान द्वारा की जाती है -

- किसी संसद सदस्य द्वारा धारा 4, धारा 5 या धारा 6ग के अंतर्गत,
- संसद सदस्य के पति या पत्नी द्वारा धारा 6ख के अंतर्गत; या
- संसद सदस्य के परिचर द्वारा धारा 6घ के अंतर्गत,

तो संसद सदस्य को स्व सत्यापित हवाई यात्रा टिकट और बोर्डिंग पास के साथ यात्रा भत्ता दावा ऑनलाइन जमा करना होगा।

(ख) ऑनलाइन बोर्डिंग पास जमा करने की अनुमति आधिकारिक यात्रा के साथ साथ सदस्यों के व्यक्तिगत हवाई यात्रा दोनों के लिए दी जाएगी।

(ग) यदि कोई संसद सदस्य से बोर्डिंग पास आदि खो जाए तो उसे यात्रा भत्ता बिल के साथ एक स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र जमा करना होगा कि उसने यात्रा कर ली है।

(घ) यदि ऑनलाइन जमा कराना संभव न हो तो संसद सदस्य सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित यात्रा भत्ता बिलों को भौतिक रूप में जमा करा सकते हैं।

(ङ) सभी ऑनलाइन जमा कराए गए दस्तावेजों या भौतिक रूप से जमा कराए गए फार्मों को संबंधित विमान कंपनियों से सत्यापित कराया जाएगा।"

[फा.सं. आरएस.11/2/ जेपीसी/2022-एमएसए]

जगदीश कुमार, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, दिनांक 6 अप्रैल 1957 को प्रकाशित हुए थे और अंतिम बार दिनांक 13 दिसंबर 2010 को सा. का.नि. 969(ङ) के द्वारा संशोधित किया गया था।

RAJYA SABHA SECRETARIAT
(Joint Committee of Houses of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2022

G.S.R.No. 351(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (3) of section 9 of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), the Joint Committee, after consultation with the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Members of Parliament (Travelling and Daily Allowances) Rules, 1957, which have been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, as required under sub-section (4) of said section 9, namely :-

1. (1) These rules may be called the Members of Parliament (Travelling and Daily Allowances) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Members of Parliament (Travelling and Daily Allowances) Rules, 1957, in rule 3A, for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

" (5) (a) Where the journey by air is performed by-

(i) a member under section 4, section 5 or section 6C;

(ii) the spouse of the member under section 6B; or

(iii) an attendant of the member under section 6D,

the member shall submit self attested travelling allowance claim alongwith air journey tickets and boarding passes, online.

(b) Submission of online boarding passes shall be allowed both for official journeys as well as for personal air journeys of members.

- (c) If a member misplaces boarding passes, etc., a self-declaration certificate may be submitted alongwith travelling allowance bills for having performed the journey.
- (d) If online submission is not feasible, member may submit travelling allowance bills alongwith all requisite documents in physical form.
- (e) All documents submitted online or in physical form shall be verified from the concerned airlines.”.

[F.No.RS.11/2/JPC/2022-MSA]
JAGDISH KUMAR, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, dated the 6th April, 1957 and last amended vide number G.S.R. 969 (E), dated the 13th December, 2010.